

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 53/2025 GCMS NO. 2025/199

प्रार्थी-	बनाम	अप्रार्थीगण-
1. श्री विकास अधिकारी, पाटोदी, जिला बालोतरा।		1. श्री सरपंच, ग्राम पंचायत सांभरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा। 2. श्री हीराराम पुत्र श्री कौशलाराम जाति जाट, निवासी चक सणतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.11.2022 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भुपेन्द्र गहलोत व चुतुर्भज, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 13.05.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.11.2022 के विरुद्ध दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के नियम 167(1) के तहत मौजा सांभरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.11.2022 को जारी किया गया। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांभरा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।



जिला कलक्टर
बालोतरा

4. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा आबादी भूमि के आवंटन हेतु आयोजित की गई नीलामी प्रक्रिया तथा उसके परिणामस्वरूप जारी किया गया पट्टा पूर्णतया अवैध, नियम विरुद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनाई गई नीलामी प्रक्रिया की प्रथम दृष्टया अवैधता इसी तथ्य से प्रमाणित होती है कि नीलामी हेतु गठित कमेटी में पंचायत समिति के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया, जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 151 के अंतर्गत एक अनिवार्य शर्त है। सक्षम प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में की गई कोई भी कार्यवाही स्वतः ही अविधिक एवं प्रभावहीन हो जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजकोष को भारी क्षति पहुँचाने के आशय से नीलामी की बोली न्यूनतम डीएलसी दरों से प्रारंभ नहीं की। तथ्य रिकॉर्ड पर है कि वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत सांभरा की आबादी भूमि की डीएलसी दर 60/- रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित थी, परन्तु नीलामी कमेटी ने दुर्भावनापूर्वक मात्र 9/- रुपये प्रति वर्गफीट की सिंचित भूमि की दर से बोली प्रारंभ कर भूखण्डों का आवंटन कर दिया, जो कि नियमों का घोर उल्लंघन है एवं सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को इंगित करता है। पंचायती राज नियमों का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों का उत्थान करना है। नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि आबादी भूमि आवंटन में बीपीएल परिवार, घुमक्कड़ जातियां, भेड़ पालकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अप्रार्थी संख्या 1 ने इन सभी वर्गों के हितों की पूर्णतया अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से भूखण्ड आवंटित कर दिए, जिससे अधिनियम की मूल भावना ही समाप्त हो गई। सम्पूर्ण नीलामी प्रक्रिया के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के आबादी भूमि नियमन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों, विशेषकर नियम 142, 143, 152, 158 एवं 161 के बाध्यकारी प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त पट्टा जारी करने की पट्टा बुक भी पंचायत समिति से जारी नहीं करवायी थी। नीलामी की प्रक्रिया में भूखण्ड की राशि 10000/- रुपये से अधिक राशि प्राप्त होने पर उसके विक्रय की पुष्टि हेतु नियम 154 के तहत पंचायत समिति से अनुमोदन पश्चात् ही पट्टा जारी किया जा सकता है जो उक्त पट्टे जारी करने में नहीं किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए विभाग द्वारा पूर्व में उक्त नीलाम किये गए पट्टों की गहन जांच की, जिसमें आवंटन प्रक्रिया को अविधिक एवं अवैध माना गया। इस प्रकार उक्त विभागीय जांच रिपोर्ट अपने आप में इस निगरानी याचिका को स्वीकार करने का एक ठोस एवं मजबूत साक्ष्य है। अप्रार्थी संख्या 1 के पदाधिकारियों तथा पट्टा धारक (विप्रार्थी संख्या 2) के मध्य स्पष्ट मिलीभगत एवं दुर्भावनापूर्ण आशय परिलक्षित होता है। न्यूनतम मूल्य से भी कम दर पर नीलामी शुरू करना, अनिवार्य शर्तों की



बालोतरा

अवहेलना करना, तथा रिकॉर्ड संधारित न करना, यह सब एक संगठित प्रयास की ओर इशारा करता है। चूँकि नीलामी की पूरी प्रक्रिया ही अवैध, शून्य एवं अधिनियम के मूल प्रावधानों के विपरीत थी, इसलिए इस प्रक्रिया के आधार पर जारी किया गया पट्टा प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) हैं। इस पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को कोई वैध अधिकार, हक या हित प्राप्त नहीं होता है। यदि इस प्रकार की अवैध एवं भ्रष्ट प्रक्रियाओं को मान्यता दी जाती है, तो यह एक अत्यंत खतरनाक मिसाल स्थापित करेगा। इससे अन्य ग्राम पंचायतें भी कानून की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित होंगी, जिससे पंचायती राज व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगेगा एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार फरमाकर, अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा अपनायी गई सम्पूर्ण नीलामी प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए, उक्त प्रक्रिया के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे को निरस्त एवं खारिज करने का आदेश प्रदान फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में उक्त आलोच्य पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167 (1) तहत ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है और स्वयं प्रार्थी विकास अधिकारी द्वारा ही उक्त आलोच्य पट्टे को निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम 151, 152, 154 के तहत जारी किया गया है। अगर उक्त पट्टे में अनियमितता है तो पंचायतीराज के नियम 166 की धारा 61 के तहत 30 दिन के भीतर अपील करने का प्रावधान है, जो मंच उपलब्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा के विरुद्ध अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत पंचायत समिति के समक्ष किये जाने का प्रावधान है, जबकि उक्त प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा के समक्ष पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। यदि उक्त 30 दिनों की समयावधि के पश्चात कोई भी याचिका प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी याचिका देर से प्रस्तुत करने तथा विहित हुई समयावधि को कण्डोन करने बाबत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का आवेदन देना आवश्यक है, जिसके लिए निगरानी याचिका प्रस्तुत करने की भी समयावधि 90 दिन है। प्रार्थी द्वारा धारा 05 परिसीमा अधिनियम का कोई आवेदन संलग्न नहीं किया गया है, जो म्याद बाहर पेश किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा निगरानी श्रवणाधिकार के बाहर व म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार उक्त प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार वीहिन पेश होने से प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी खारिज योग्य है।



जिला कलक्टर
बालोतरा

6. हमने पत्रावली में उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सांभरा से आलोच्य मूल अभिलेख का अवलोकन इस संबंध में ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा पंचायत की बैठक में दिनांक 05.08.2022 को दर्ज करते हुए फैसल दिनांक 20.11.2022, संकल्प संख्या 1 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा संख्या 14 दिनांक 20.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के सम्पूर्ण नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया, जिसमें मूल पट्टे पर दायर दिनांक 05.08.2022 अंकित होना पाया गया, लेकिन इस दिनांक को बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अप्रार्थी संख्या 2 का नाम अंकित नहीं होना पाया गया है। आपति नोटिस दिनांक 01.09.2022 को आदेश जारी किया गया, लेकिन इसका भी उक्त दिनांक को बैठक कार्यवाही रजिस्टर में किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं होना पाया गया। नीलामी के समय पंचायत समिति के किसी अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति या हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं, जो नियम 151 की बाध्यकारी शर्तों का उल्लंघन है। भूमि की प्रकृति "आबादी" होते हुए भी "सिंचित कृषि" की दरों पर नीलामी की गई है। बेशकीमती भूमि को बिना उचित मूल्यांकन और न्यूनतम DLC दर की पालना किए बिना आवंटित करना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिससे स्पष्ट होता है कि आरक्षित दर का निर्धारण नियम 143 के विरुद्ध किया गया। सक्षम स्तर (पंचायत समिति) से पट्टा बूक का पुष्टीकरण का कोई आदेश संलग्न नहीं है, बिना पुष्टीकरण के जारी पट्टा कानूनी रूप से अस्तित्वहीन है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा भूखंड आवंटन प्लान (Layout Plan) किसी अधिकृत नगर नियोजक से अनुमोदित नहीं करवाया गया, जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के अनुसार आबादी भूमि के नियोजन हेतु ले-आउट प्लान तैयार करना और नगर नियोजक से अनुमोदन आवश्यक है। बिना मास्टर प्लान या अनुमोदित ले-आउट के नीलामी द्वारा पट्टे जारी करना प्रक्रियात्मक दोष (Procedural Lapse) है। नीलामी की सूचना और आपति नोटिस स्थानीय समाचार पत्र (जो उस क्षेत्र में प्रचलित हो) में प्रकाशित करवाने के बजाय किसी अन्य जिले के समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना पाया गया, जिससे स्थानीय जनता को आपति दर्ज करने का अवसर नहीं मिला। नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक सूचना का ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशन अनिवार्य है, जिसका उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो। अन्य जिले के समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करना



जिला कलेक्टर
जालोतरा

“छद्म प्रकाशन” की श्रेणी में आता है, जिससे नीलामी की निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। यह प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रत्येक भूखंड के लिए पृथक पत्रावली तैयार कर नियमतः पत्रावली में आवेदन पत्र, भूखंड का नक्शा, पटवारी रिपोर्ट, राजस्व जमाबंदी, मौका रिपोर्ट, आपत्ति नोटिस, नीलामी कार्यवाही, DLC रेट सूची, पंचायत का निर्णय और उच्च संस्था का अनुमोदन होना अनिवार्य था, लेकिन सभी खसरो के आवेदनों और पट्टों को एक साथ नत्थी कर खानापूर्ति की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आवंटन की एक स्वतंत्र “मिशल” होनी चाहिए। पत्रावलियों का विधिवत संधारण न होना यह दर्शाता है कि आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की मंशा ग्राम पंचायत की संपत्तियों का पारदर्शी और नियमानुसार प्रबंधन करना है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा के विरुद्ध अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत पंचायत समिति के समक्ष किये जाने का प्रावधान है, न कि न्यायालय जिला कलेक्टर का है। इस संबंध में शासन सचिव पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.4 / 10 / परावि / विधि / संशोधन / 2004 / 3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर को भी निर्धारित है। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती प्रतापी बनाम राजस्थान राज्य (S-B- Civil Writ Petition No- 639/2016) में यह सुस्थापित किया गया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 एक स्वतंत्र क्षेत्राधिकार है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 में अपील का प्रावधान है, जो सामान्यतः किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा की जाती है। वहीं धारा 97 निगरानी (Revision) का प्रावधान करती है, जिसके तहत राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी (जिला कलेक्टर) किसी भी अधीनस्थ पंचायती राज संस्था के रिकॉर्ड की शुद्धता, वैधता और औचित्य की जांच कर सकता है। धारा 97 के तहत याचिका लगाने से पहले धारा 61 की अपील का उपयोग करना कोई अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की यह आपत्ति कि धारा 61 के तहत अपील का प्रावधान होने के कारण यह निगरानी चलने योग्य नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। जहाँ तक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की इस आपत्ति का प्रश्न है कि प्रस्तुत निगरानी याचिका मियाद बाहर पेश की गई है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध विधिक स्थिति का परिशीलन किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अंतर्गत राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी (जिला कलेक्टर) को अधीनस्थ



पंचायती राज संस्थाओं के रिकॉर्ड की शुद्धता, वैधता और औचित्य की जांच करने हेतु "स्वतः संज्ञान" (Suo moto) की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। उक्त धारा के उपबंधों में निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु किसी निश्चित समयावधि (Limitation) का कोई वैधानिक उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि कानून द्वारा निगरानी प्राधिकारी को 'On its own motion' (स्वयं की प्रेरणा से/स्वतः संज्ञान) रिकॉर्ड तलब करने का अधिकार दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) की तकनीकी बाधाएं प्रभावी नहीं होती हैं। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती प्रतापी बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय के पेज संख्या 7, 8 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि धारा 97 के अंतर्गत निगरानी प्राधिकारी को "स्वतः संज्ञान" (Own motion) की शक्ति प्राप्त है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में नियमों (नियम 145-167) की अवहेलना पाई जाती है, तो निगरानी प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार है कि वह पत्रावली मंगवाकर उसकी वैधता की जांच कर सके। अतः तकनीकी आधारों पर इस निगरानी को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विभागीय जांच रिपोर्ट में "सरपंच श्रीमती लीला चौधरी एवं श्री विसनाराम ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के आबादी भूमि नियम 142, 143, 152, 157 1), 158, 161 के प्रावधानों का पालन नहीं करने एवं नियमों से हटकर नियम विरुद्ध भूखण्ड आवंटन कर राजकोष को हानि पहुँचाने के लिए उत्तरदायी है। सरपंच श्रीमती लीला चौधरी एवं श्री विसनाराम मेंघवाल ग्राम पंचायत नीलामी का विधिवत नियमानुसार रिकार्ड संधारण नहीं किये जाने के लिए उत्तरदायी है। तत्समय पदास्थापित विकास अधिकारी के ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड आवंटन की नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किये जाने, नियम 168 के प्रावधान की पालना नहीं किये जाने एवं पंचायत समिति स्तर पर रिकार्ड संधारण नहीं करवाये जाने तथा नगर नियोजन के स्थान पर पंचायत समिति की साधारण सभा से अनुमोदन कर नियम विरुद्ध कार्यवाही करवाये जाने के लिए उत्तरदायी है।" होना बताया गया है। ऐसे में अप्रार्थी संख्या 1 अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1994 के नियम 145 से 167 में वर्णित अनिवार्य प्रक्रिया की विधिक पालना नहीं की गई है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने श्रीमती प्रतापी बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माना है कि बिना विधिक प्रक्रिया के जारी पट्टे शून्य एवं अवैध हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पट्टे का आवंटन किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।



7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया विवादित पट्टा एवं उससे संबंधित संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।
8. निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिला कलेक्टर, बालोतरा